



आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात) का कार्यालय
नवीन सीमाशुल्क भवन, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

File No.: GEN RTI/PN/3/2021-ADMN

दिनांक:- 06-08-2025

जन सूचना सं. 21/2025

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ - केंद्रीय जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति (CPIOs)- संबंधित।

Subject: Right to Information Act, 2005 - Appointment of Central Public Information Officers (CPIOs) – regarding.

उपरोक्त संदर्भ में जारी जन सूचना सं. 165/2021 दिनांक 03.09.2021 में संशोधन करते हुए आयुक्त, आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात) के कार्यालय, नवीन सीमाशुल्क भवन, मुंबई के कार्यक्षेत्र में श्री आलोक कुमार, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है

क्र. संख्या	नाम/अधिकारी का पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यक्षेत्र
1.	श्री आलोक कुमार, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात)	चौथी मंजिल, अनेक्स बिल्डिंग, नवीन सीमाशुल्क भवन, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001. दूरभाष : 022 -22757 535 ई-मेल : alokk.c099401@ gov.in	आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात) से संबंधित सूचना

श्री आलोक कुमार, सहायक आयुक्त, की अनुपस्थिति में निम्नलिखित अधिकारी इस दायित्व का निर्वहन करेंगे।

जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रथम संपर्क अधिकारी का नाम एवं पदनाम	द्वितीय संपर्क अधिकारी का नाम एवं पदनाम
श्री आलोक कुमार, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात)	श्री ठंडी लाल मीणा, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात).	श्री अभिषेक जैन, उप आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात).

यह नियुक्त पत्र माननीय आयुक्त (निर्यात) की स्वीकृति से जारी किया है।

Digitally signed by
 ABHISHEK JAIN
 Date: 06-08-2025
 16:28:31

(अभिषेक जैन)
 उप आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात), मुंबई - I

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, अंचल - I.
2. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क, अंचल - I.
3. आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), मुंबई, अंचल - I.
4. अपर महानिदेशक (प्रणाली), महानिदेशक, प्रणाली आंकडा प्रबंधन, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद, चतुर्थ एवं पंचम तल, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110 021.
5. आयुक्त, प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद, नई दिल्ली - 110 002.
6. आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात), नवीन सीमाशुल्क भवन, मुंबई के अंतर्गत अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क.
7. संबंधित अधिकारी
8. कार्यालय प्रति
9. EDI - वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु